डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/1332/2026 दिनांक : 02/05/2026
अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति)/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

विषयः अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित शिक्षकों तथा स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित एवं-स्ववित्तपोषित शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 260/सत्तर–3–2026–1975038, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, दिनांक 02 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक, स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षक तथा राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत, सरकारी चिकित्सालयों के अतिरिक्त निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत एवं अनुमोदित समस्त शिक्षकों की प्रमाणित सूची (अनुमोदन पत्र सहित) प्रारूप के अनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 04.05.2026 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित महाविद्यालय में कोई भी शिक्षक कार्यरत एवं अनुमोदित नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न समस्त दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी।
2. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. उप–कुलसचिव, आवासीय इकाई।
4. अधिकृत एजेंसी – उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों के लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett